HARYANA GOVERNMENT
HEALTH DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 03 January, 2025

No.6/21/2017-2HBIII-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Health Department Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' Service Rules, 1984, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Health Department Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' Service (Amendment) Rules, 2024.
2. In the Haryana Health Department Multipurpose Health Supervisors and Multipurpose Health Workers Group 'C' Service Rules, 1984, for Appendix 'B', the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX 'B'
(See rule 7)

Serial No.	**Designation of posts**	**Academic qualification and experience, if any, for direct recruitment**	**Academic qualification and experience, if any, for appointment other than direct recruitment**
1	2	3	4
1	Multipurpose Health Supervisor (Male)		**By promotion-** Five year experience as Multipurpose Health Worker (Male). **By transfer or deputation-** (i) Two years experience as Multipurpose Health Supervisor (Male); (ii) 10+2 in any stream from a recognized Board. (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric; (iv) Multipurpose Health Worker Training, Regular Course from an Institution recognized by the Government.
2	Multipurpose Health Supervisor (Female)		**By promotion-** Five year experience as Multipurpose Health Worker (Female). **By transfer or deputation-** (i) Two year experience as Multipurpose Health Supervisor (Female); (ii) 10+2 in any stream from a recognized Board; (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric; (iv) ANM Training Course from an institution recognized by the Government; (v) Diploma of Lady Health visitor

			from a recognized institution; and (vi) Registered as a Lady Health visitor with Haryana Nursing Council.
3	Multipurpose Health Worker (Male)	(i) 10+2 in any stream from a recognized Board; (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric; (iii) Multipurpose Health Worker Training, Regular Course from an Institution recognized by the Government.	**By transfer or deputation-** (i) Two year experience as Multipurpose Health Worker (Male); and (ii) 10+2 in any stream from a recognized Board; (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric; (iv) Multipurpose Health Worker Training, Regular Course from an Institution recognized by the Government.
4	Multipurpose Health Worker (Female)	(i) 10+2 in any stream from a recognized Board; (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric; (iii) ANM Training Course from an institution recognized by the Government.	**By transfer or deputation-** (i) Two years experience as Multipurpose Health Worker (Female); and (ii) 10+2 in any stream from a recognized Board; (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric; (iv) ANM Training Course from an institution recognized by the Government.

Note:- The Multi Purpose Health worker (Male) or Multi Purpose Health Worker (Female) who have undergone Multi Purpose Health Worker Training Course or ANM Training Course with Matric prior to the Haryana Government, Health Department, Notification No.18/G.S.R./Const./Art.309/2014,dated the 21st February, 2014, shall be eligible."

(SUDHIR RAJPAL)
Additional Chief Secretary to Government Haryana
Health Department.

"APPENDIX 'A'
(See rule 3)

Sr. No.	Designation	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Multipurpose Health Supervisor (Male)				35400 (FPL-6)
2	Multipurpose Health Supervisor (Female)				35400 (FPL-6)
3	Multipurpose Health Worker (Male)				35400 (FPL-6)
4	Multipurpose Health worker (Female)				35400 (FPL-6)

हरियाणा सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

दिनांक 03 जनवरी, 2025

संख्याः 6/21/2017-2एच.बी.।।।-भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (ग्रुप ग) सेवानियम, 1984 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (ग्रुप ग) सेवानियम, 1984 में, परिशिष्ट 'ख' के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परिशिष्ट'ख'
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष)	-------	पदोन्नति द्वारा- बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (पुरूष) के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष) के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 10+2; (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; (iv) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार का नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;
2.	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला)	-------	पदोन्नति द्वारा- बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (महिला) के रूप में पॉच वर्ष का अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा- (i) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला) के रूप मे दो वर्ष का अनुभव; (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 10+2; (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; (iv) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ए.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम;

			(v)मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य निरीक्षक (लेडी हैल्थ विजिटर) का डिप्लोमा; तथा (vi)हरियाणा नर्सिंग परिषद से महिला स्वास्थ्य निरीक्षक (लेडी हैल्थ विजिटर) के रूप में पंजीकृत।
3	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (पुरूष)	(i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 10+2; (ii)मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; (iii)सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (पुरूष) के पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 10+2; (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; (iv) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
4	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (महिला)	(i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 10+2; (ii)मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; (iii)सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ए.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा– (i) बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (महिला) के पद पर दो वर्ष का अनुभव; तथा (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी संकाय में 10+2; (iii) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; (iv) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ए.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

टिप्पणः– जिन बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (पुरूष) या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (महिला) ने हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 18/संवि0/अनु0 309/2014, दिनांक 21 फरवरी, 2014 से पूर्व मैट्रिक सहित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या ए.एन.एम. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया हुआ है, उन्हे पात्र माना जाएगा।"।

(सुधीर राजपाल)
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

"परिशिष्ट क"

(देखिए नियम 3)

कम संख्या	पद नाम	वेतनमान
1	2	3
1	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरूष)	35400/ (एफ0पी0एल–6)
2	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (महिला)	35400/ (एफ0पी0एल–6)
3	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (पुरूष)	35400/ (एफ0पी0एल–6)
4	बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार (महिला)	35400/ (एफ0पी0एल–6)